

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकूला
सेवा में,

हरियाणा के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य।

यादी क्रमांक : 24 / 2-2023 सी0-7(4)

दिनांक, पंचकूला 06-09-2023.

विषय:

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वर्ष 2022-23 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट्स ऑनलाइन के माध्यम से लिखने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निश्चित समय पर नहीं भेजी जाती जिस कारण कई महत्वपूर्ण मामले जैसे कि extension in services/senior scale/selection grade एवं promotion में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसलिए आप अपने अधीनस्थ कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वर्ष 2022-23 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि में विभाग को भिजवाये:-

1. सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके कॉलेज में कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट परीक्षा परिणाम अवश्य निदेशालय में भेजें। अगर गोपनीय रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हुई तो उसके लिये प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की हिदायतों को ध्यान में रखकर आनलाईन भरी जायें। विशेष तौर से सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी के सम्बंध में कुछ प्राचार्य सत्यानिष्ठा के कॉलम में Satisfactory/Average या ऐसे शब्द जो सत्यानिष्ठा से सम्बन्धित नहीं है, लिखते हैं, जोकि हिदायतों के विरुद्ध है। इस बारे स्पष्ट रूप से सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की सत्यानिष्ठा बारे टिप्पणी अंकित करें। यदि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर की सत्यानिष्ठा बारे कोई विपरीत टिप्पणी दी जाती है तो उससे सम्बन्धित दस्तावेज भी गोपनीय रिपोर्ट्स के साथ अपडेट करें तथा पूर्ण विवरण भरें।
3. प्राचार्य/रिपोर्टिंग अधिकारी के अधीनस्थ यदि कोई कर्मचारी उनका सगा-सम्बन्धी कार्यरत है तो वह उनकी गोपनीय रिपोर्ट में overall ग्रेडिंग (रिपोर्टिंग) लिखने के लिये प्राचार्य सक्षम नहीं है। इन परिस्थितियों में उनके Self appraisal में उनकी सत्यानिष्ठा तथा Vigilance Inquiry/Criminal Case Pending नहीं है, बारे सत्यापित रिपोर्ट अंकित करते हुये उनकी गोपनीय रिपोर्ट आनलाईन पोर्टल पर भरें।
4. प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने के कारण अगर गोपनीय रिपोर्ट निदेशालय द्वारा लिखी जानी है तो सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा भरे गये सैलफ अप्रेजल प्रोफार्म में

- सत्यानिष्ठा का कॉलम महाविद्यालय के कार्यालय रिकार्ड के आधार पर वर्तमान प्राचार्य द्वारा आनेलाईन भरे तथा सत्यानिष्ठा का कॉलम अधूरा न छोड़ा जाये।
5. सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों द्वारा भरे गये परीक्षा परिणाम को रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित करें एवं परीक्षा परिणामों की विश्वविद्यालय की पास प्रतिशत तथा महाविद्यालय की प्रतिशत का अन्तर अवश्य भरा जाये। यदि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर की पास प्रतिशत विश्वविद्यालय से कम है और प्राचार्य इस बात से सहमत है कि सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर का इसमें कोई दोष नहीं है तो इस सम्बंध में पूरा विवरण अंकित करते हुए टिप्पणी दें।
 6. सहायक/एसोसिएट प्रौफेसर शिक्षा सत्र के दौरान 30 जून से पूर्व तीन माह तक जिस महाविद्यालय में नियमित या प्रतिनियुक्त पर कार्यरत है गोपनीय रिपोर्ट उसी महाविद्यालय के प्राचार्य (जिस प्राचार्य की देख-रेख में कार्य किया गया हो) द्वारा लिखी जाये।
 7. प्राचार्य द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि उनके महाविद्यालय में कितने सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं तथा कोई ए०सी०आर० भेजी जानी शेष नहीं है। यदि ऐसी कोई ए०सी०आर० लम्बित रखी जाती है तो उनका पूर्व विवरण देते हुए कारण स्पष्ट किया जाये।
 8. प्राचार्य द्वारा यह भी सत्यापित किया जाये कि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर के विरुद्ध Vigilance inquiry/criminal cases pending नहीं है।
 9. आनेलाईन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने हेतु जारी हिदायतों की प्रति भी संलग्न है।
 10. नोट:- सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों द्वारा दिनांक 30.09.2023 से पूर्व अपनी-2 सैल्फ अप्रेजल रिपोर्ट भरकर अपने Reporting officer/ Principal को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने अधीनस्त कार्यरत सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों की सैल्फ-अप्रेजल रिपोर्ट दिनांक 15.10.2023 तक निदेशालय को आनेलाईन पोर्टल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्यवंश नहीं भेजी जाती है तो उस वर्ष की सैल्फ-अप्रेजल रिपोर्ट को कैसल माना जाएगा, जिसके लिए सहायक/एसोसिएट प्रोफेसर/प्राचार्य स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(Signature)
अधीक्षक महाविद्यालय-7
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक-सम-

दिनांक, पंचकूला 06-09-2023

इसकी एक प्रति इन्वार्ज आईटी० सैल को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Signature)
अधीक्षक महाविद्यालय-7
कृते: निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।